राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–.....22/2014 व 23/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री फैट्स एण्ड प्रोटीन्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–III, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/01/2014	**खण्डपीठ** **श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी द्वारा ये दोनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 259/13–13 व अ.प्रा.–II/स्थगन/अ.सं. 260/13–13 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वैट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 30.12.2013 के विरूद्ध वैट अधिनियम की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन दोनों अपीलों में पक्षकार एवं विवाद बिन्दु समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाकर, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जा रही है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी की आलौच्य अवधि वर्ष 2009–10 व 2010–11 के लिये वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–जयपुर, जोन–III (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा वेट अधिनियम की धारा 25(1), 55 व 61 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 29.11.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों में स्थगन प्रार्थना–पत्रों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए लम्पसम राशि की वसूली कार्यवाही स्थगित की गई है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी खल से सॉल्वेंट एक्सट्रेक्सन विधि से एडेबल ऑयल का निर्माण कर विक्रय करता है। अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 23.6.2010 को किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर तहसील बस्सी जिला जयपुर के लिये बनी हुई खल (सरसों) की बिल्टियां पायी गयी, जहां अपीलार्थी की फैक्ट्री का पता है। बिल्टियों में अंकित माल टोंक व निवाई के अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद किया गया है, धर्मकांटा पर्ची भी टोंक व निवाई की बनी हुई है, जबकि बिल दौसा, भरतपुर, सीकर आदि जगहों के हैं। उक्त माल का अपीलार्थी व्यवहारी की लेखा–पुस्तकों में इंद्राज भी नहीं पाया गया। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खल की अपंजीकृत खरीद मानते हुए, इसमें 10 प्रतिशत लाभांश सहित कुल राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कर, करापवंचन के लिये धारा 61 के तहत शास्ति व धारा 55 के तहत ब्याज का आरोपण करते हुए विवादित आदेश दिनांक 29.11.2013 को पारित किये गये। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :–	

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–.....22/2014 व 23/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री फैट्स एण्ड प्रोटीन्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–III, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/01/2014

अपील संख्या	अवधि	अपंजीकृत खरीद	कीमत @13.50/kg	10% लाभांश सहित अपवंचित बिक्री
1	2	3	4	5
22/14	2009–10	1,37,34,311 KG	18,54,13,198	20,39,54,518
23/14	2010–11	28,04,208 KG	3,78,56,808	4,16,42,489

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित				अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकृत स्थगन	अपीलार्थी द्वारा चाहा गया स्थगन
कर	ब्याज	शास्ति	योग		
6	7	8	9	10	11
81,58,181	41,60,672	1,63,16,362	2,86,35,215	1,50,00,000	89,92,372
16,65,700	6,49,623	33,31,400	56,46,723	30,00,000	23,28,736

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेशों से सृजित मांग को स्थगित किये जाने हेतु अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपीलों में स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.12.2013 से उक्त तालिका के कॉलम संख्या 10 अनुसार लम्पसम राशि की वसूली स्थगित करते हुए शेष राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी किये जाने से इन्कार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रकरण में बकाया वसूली राशि के स्थगन हेतु प्रस्तुत की गयी हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक श्री अलकेश शर्मा तथा राजस्व के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री वैभव कासलीवाल की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहार का अपनी लेखा–पुस्तकों में इंद्राज किया हुआ है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय आदेश दिनांक 5.1.2012 की पालना में कोई जांच नहीं की तथा किसी प्रकार की जांच से व्यवहारी की करापवंचन की मनोदशा प्रमाणित नहीं की है एवं ना ही संव्यवहारों को फर्जी प्रमाणित किया गया है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु व्यवहारी को विधिसम्मत नोटिस भी जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग विधिविरूद्ध है एवं अपीलीय अधिकारी ने भी सम्पूर्ण राशि का स्थगन जारी नहीं कर, बिना कारण अंकित किये आंशिक राशि का स्थगन जारी किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने शेष वसूल योग्य मांग राशि (उक्त तालिका के कॉलम संख्या–11 अनुसार) की वसूली स्थगित किये जाने का अनुरोध किया।

लगातार.....3

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–.....22/2014 व 23/2014..... जिला .....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स श्री फैट्स एण्ड प्रोटीन्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर

बनाम

(1) उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, जयपुर (2) वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन–III, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 3 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/01/2014	प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि व्यवहारी के व्यवसाय स्थल की जांच में पाये गये दस्तावेजों के अनुसार यह प्रमाणित है कि व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत व्यवहारियों से की गई खरीद का अपनी लेखा–पुस्तकों में इन्द्राज नहीं किया गया है, जबकि पंजीकृत खरीद के समस्त इन्द्राज उसके बहियात में पाये गये हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को जारी किये गये कारण बताओ नोटिसों की पालना में भी व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत खरीद से सम्बन्धित इंद्राजात व अन्य साक्ष्य कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी द्वारा की गई अपंजीकृत खरीद में 10 प्रतिशत लाभांश की राशि जोड़ते हुए तदनुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों में वसूली योग्य राशि में से अधिकतम राशि की वसूली पर स्थगन आदेश जारी कर अपीलार्थी को अधिकतम राहत प्रदान कर दी गयी है। ऐसी स्थिति में शेष वसूली योग्य राशि बाबत प्रकरणों के तथ्यानुसार प्रथम दृष्टया विधिसम्मत व सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में नहीं होने से अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये अपील स्थगन प्रार्थना–पत्रों पर उभय पक्ष की बहस सुनने एवं प्रस्तुत रेकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात यह पीठ इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपील आदेश दिनांक 5.1.2012 की पालना में कोई जांच किये बिना ही मांग सृजित की है तथा अपीलीय अधिकारी ने आंशिक स्थगन के लिये भी कोई कारण अंकित नहीं किया है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का संतुलन व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत होने के कारण अपीलीय आदेश के अलावा शेष वसूली योग्य राशि रूपये 89,92,372/– व रूपये 23,28,736/– का स्थगन तीन माह के लिये इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित अपीलार्थी की अपीलों को तीन माह की अवधि में निष्पादित करना सुनिश्चित करें। उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। 22.1.2014 सदस्य सदस्य	